उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31-12-71 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5-1-72 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19-1-72 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22-1-72 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963 का संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1963 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में--

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय--

"(क) 'जिला कमान्डेन्ट' का तात्पर्य किसी जिले में होम-गार्ड्स के समादेशाधिकारी से है;"

(2) खण्ड (ञ) तथा (ठ) निकाल दिये जायं।

धारा 6 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्--

"(3) जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुये, किसी जिले में होम-गार्ड्स का प्रशासन जिला कमान्डेन्ट में निहित होगा और उसके द्वारा किया जायेगा।"

धारा 8 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 8 में, खण्ड (क) में शब्द "जिला मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "जिला मजिस्ट्रेट या जिला कमान्डेन्ट" रख दिये जायं।

धारा 13 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 13 में--

(1) उपधारा (4) में शब्द "बटालियन के कमान्डेन्ट" के स्थान पर शब्द "जिला कमान्डेन्ट" रख दिये जायं, तथा

(2) उपधारा (5) में शब्द "बटालियन का कमान्डेन्ट" के स्थान पर शब्द "जिला कमान्डेन्ट" रख दिये जायं।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 28-8-71 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--255 जनरल (लेग)--1972 1,809+50 (मे०)।

THE UTTAR PRADESH HOME GUARDS (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1972

(U. P. ACT No. 4 OF 1972)

*[Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Home Guards (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Home Guards Adhiniyam, 1963

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Home Guards (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint.

Amendment of section 2 of U. P. Act XXIX of 1963.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Home Guards Adhiniyam, 1963 (hereinafter referred to as the principal Act)—

(i) *for* clause (*a*) the following clause shall be *substituted,* namely—

"(*a*) 'District Commandant' means the Officer Commanding the Home Guards in a district; " ;

(ii) clauses (i) and (l) shall be *omitted.*

Amendment of section 6.

3. In section 6 of the principal Act, *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(3) Subject to the general control and direction of the District Magistrate, the administration of the Home Guards in a district shall vest in and be exercised by the District Commandant."

Amendment of section 8.

4. In section 8 of the principal Act, in clause (*a*), *for* the words "the District Magistrate" the words "the District Magistrate or the District Commandant" shall be *substituted.*

Amendment of section 13.

5. In section 13 of the principal Act—

(i) in sub-section (4) *for* the words "the Commandant of a battalion", the words "the District Commandant" shall be *substituted* ; and

(ii) in sub-section (5), *for* the words "the Commandant of the battalion", the words "the District Commandant" shall be *substituted.*

(*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary,* dated August 28, 1971).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 31, 1971 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 5, 1972).

(Received the assent of the Governor on January 19, 1972, under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary,* dated January 22, 1972).

PSUP—A.P. 254 Genl. (Leg.)—1972. 1,827+50. (M).